बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी-प्रतिवेदन

[भाग—1 कार्यवाही—प्रश्नोत्तर]

1336/4

मंगलवार, तिथि 9 जनवरी, 1979 ई०

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 4 (ii) के परन्तुक के अंतर्गत

अनागत प्रश्नों के लिखित उत्तर :

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : 11 14, एवं 15 -- -- 1—8

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : 363, 378, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 930, 932, एवं 935। -- 8—32

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : -- -- 33—578

दैनिक निबंध -- -- 579—580

टिप्पणी : जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है; उनके नाम के पीछे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4) विहार टी० ए० रूल्स में संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आपात्काल में मीसा में बन्दी की संख्या

प-2. श्री ए० एन० चांद—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत् आपात्काल में सारे बिहार राज्य के कितने लोगों को मीसा एवं डी० आई० आर० में बन्द किया गया था इसका विस्तारपूर्वक विवरण सरकार देना चाहती है; यदि हां, तो कबतक; नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री कारा विभाग—विगत आपात्काल की अवधि में सारे राज्य में मीसा तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 2,083 एवं 7,747 थी।

उर्दू को सरकारी भाषा की मान्यता

म-92. श्री एस० अहमद सावरी एवं श्री अखलाक अहमद—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार उर्दू को बिहार की दूसरी सरकारी भाषा बनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री राजभाषा विभाग—उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक अड़चनें हैं जिनमें एक वैधानिक अड़चन भी है।

उपार्जित अवकाश घोषित

च-7. श्री कृष्णवल्लभ प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, योजना, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि श्री इन्द्रदेव नारायण सिंह, निम्नवर्गीय लिपिक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन विभाग को विभागीय ज्ञापांक 4874, दिनांक 17 जुलाई